

कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

क्रमांक/बजट /2019-20/ 20971
प्रति,

भोपाल, दिनांक 25/7/19

समस्त सहायक आयुक्त एवं जिला संयोजक
आदिम जाति कल्याण विभाग
म0प्र0

विषय:-आदिम जाति कल्याण विभाग में संविलियन से वंचित सहायक अध्यापक/अध्यापक
एवं वरिष्ठ अध्यापक की संख्या एवं होने वाला व्यय भार की जानकारी बाबत।

-0-

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा म0प्र0 जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण
संवर्ग (सेवा एवं भर्ती नियम 2018) दिनांक 08 अगस्त 2018 के नियम 5 में उल्लेखित
प्रावधान अनुरूप आदिम जाति कल्याण विभाग की शालाओं में कार्यरत स्थानीय निकाय के
सहायक अध्यापकों, अध्यापकों एवं वरिष्ठ अध्यापकों को प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक
एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक पर संविलियन किया गया है।

आदिम जाति कल्याण विभाग में प्रशासकीय /स्वेच्छिक /न्यायालयीन /सेवा शर्तों
की पूर्ति न होने के फलस्वरूप वंचित सहायक अध्यापकों, अध्यापकों एवं वरिष्ठ अध्यापकों
को वेतन भुगतान किये जाने हेतु उनकी पदवार संख्या एवं व्यय भार की जानकारी संलग्न
निर्धारित प्रपत्र में जिले की संकलित जानकारी आहरण संवितरण अधिकारी वार इस
कार्यालय को ई-मेल ऐड्रेस budget.ctd@mp.gov.in पर दिनांक 31.7.2019 तक
उपलब्ध करावे। जानकारी प्राप्त न होने की दशा में वेतन भुगतान में विलंब संभावित हैं।

(दीपाली रस्तोगी)

आयुक्त

आदिवासी विकास, म0प्र0

क्रमांक/बजट /2019-20/ 20972
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 25/7/19

- 1 समस्त संभागीय उपायुक्त आदिवासी विकास एवं अनुसूचित जाति विकास म0प्र0।
- 2 समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी, आदिवासी विकास की अग्रेषित कर
निर्देशित किया जाता है कि जानकारी संबंधित जिलाधिकारी को तत्काल उपलब्ध
करावे।

आयुक्त

आदिवासी विकास,

म0प्र0

IT शिखर

आदिम जाति कल्याण विभाग में संविलियन से वंचित शिक्षकों की जानकारी

क्रमांक	जिले का नाम	आहरण संवितरण अधिकारी का नाम तथा डी.डी. ओ. कोड	पदनाम (सहायक अध्यापक / अध्यापक / वरिष्ठ अध्यापक /	पदसंख्या	औसत मासिक वेतन	31.3.20 तक कुल राशि की आवश्यकता	31.7.2019 तक भुगतान हेतु लम्बित राशि	दि. 1.8.2019 से 31.3.2020 तक वेतन मद में आवश्यकता	संविलियन न होने के मुख्य कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

सहायक आयुक्त / जिला संयोजक
के हस्ताक्षर